



D.P. Bhosale College, Koregaon

Tal. Koregaon, Dist. Satara (MS), INDIA
(Affiliated to Shivaji University, Kolhapur)
NAAC Re-accredited 'A' Grade (CGPA 3.12)
ISO 9001:2015 Certified

Impact Factor - 6.261

ISSN - 2348-7143

INTERNATIONAL RESEARCH FELLOWS ASSOCIATION'S

RESEARCH JOURNEY

International E-Research Journal

PEER REFREED & INDEXED JOURNAL

March -2019 Special Issue - 171 (D)



आंतरविद्याशाखीय आंतरराष्ट्रीय परिषद स्मरणिका
घुमंतू समाज की श्रमसंस्कृति : कला और साहित्य

अतिथी संपादक

डॉ. विजयसिंह सावंत

प्राचार्य

डी.पी.भोसले कॉलेज, कोरेगाव

ता. कोरेगाव, जि. सातारा

मुख्य संपादक

डॉ. धनराज धनगर (येवला)

कार्यकारी संपादक

डॉ. गजानन भोसले

प्रमुख, हिंदी विभाग

डी.पी.भोसले कॉलेज, कोरेगाव

ता. कोरेगाव, जि. सातारा

सहयोगी संपादक

श्रीमती आर. के. मुल्ला

सहाय्यक प्राध्यापिका, हिंदी विभाग

डी.पी.भोसले कॉलेज, कोरेगाव

ता. कोरेगाव, जि. सातारा

True Copy

Vice Principal

Kisanveer ... Koregaon

Wai, Dist. Satara - 412 80

For Details Visit To : www.researchjourney.net

SWATIDHAN PUBLICATIONS

अनुक्रमिका

क्र.सं.	शीर्षक	लेखक / लेखिका	पृष्ठ सं.
1	धुमरू 'हिन्दी' समाज का स्वरूप एवं व्यक्तित्व	डॉ. धनुषदास आर्यदेकर	06
2	बंजारा समाज की संस्कृति एवं व्यवसाय का परिचय	डॉ. मेदिनी अंतनीकर	12
3	धुमरू समाज की बोली भाषा	डॉ. वी.एम. बलवंत	15
4	वक्त्र आंदोलनकारी साहित्य अथवा वैश्विक परिदृश्य में	डॉ. गोरख बनसोडे	18
5	'लौरा बोस्वोर्ली' का 'वी.सी. शोपण' वि. प्रकाशकता	महेश भोसले	21
6	धुमरू समाज का परिचय तथा बंजारा के धुमरू समाज के साहित्य का स्वरूप	डॉ. जी.एम. भोसले	24
7	पारधी समाज - ज्ञान प्रकाशक	प्रा.एम.व्ही.वर्णेकर	27
8	धुमरू जनजात जनजाति के अंतरण	डॉ. संगिता चित्रकोटी	30
9	हिन्दी चेतने के लोच में चित्रित धुमरू जन-जातियों की कथा-व्यथा	डॉ. नितीन धवडे	33
10	धुमरू जन - जातियों का चित्रण सुषमा मुनीर की कहानी 'देवता' के मदर्भ में	कु.अलका घोडके	36
11	आदिवासी पीढ़ी की सशक्त अभिव्यक्ति : निर्मला पुनन की कविताएँ	डॉ. कामायनी सुर्वे	39
12	संघर्ष के साहित्य में चित्रित देवता	सचिन जाधव	44
13	वक्त्र एवं धुमरू आदिवासी जनजाति का साहित्य : एक विवेचन	श्री. सूर्यकांत आमलापुरे	47
14	धुमरू समाज के साहित्य का स्वरूप	डॉ. कविता पनिया	51
15	धुमरू बंजारा जाति का स्वरूप एवं उनकी पहचान	प्रा. नीलम भोसले	53
16	धुमरू जनजातियों अपनी नयी रोशनी की तलाश में	डॉ. सिद्धु हालदे	58
17	ज्ञानप्रकाशक में गावपचायत - धुमरू समाज की ब्रामरी	डॉ. एच.डी.टोंगारे, सतीशकुमार पडोळकर	60
18	गणेश गधर के 'कब तक पुष्कर' उपन्यास में कानट जानि के शोपण का चित्रण	प्रा.जे.ए. पाटील	63
19	बंजारा समाज की बोली भाषा का स्वरूप	डॉ. अनिता काकडे	68
20	धुमरू समाज में बोनहादी समाज	डॉ. दिलीपकुमार कसबे	72
21	सामनाथ चव्हाण के 'चिन चेहरे' के 'इन्सान' कहानी संग्रह में चित्रित धुमरू समाज की समस्याएँ	डॉ. एच.व्ही. काटे	76
22	बंजारा एवं पारधी परिवर्तन के संकेत	डॉ. भारत खिलारे	81
23	भारतीय समाज का सबसे वक्त्रित समाज : किसान	प्रा.मारुफ मुजावर	87
24	धुमरू चित्रकथी समाज का सांस्कृतिक जीवन	श्रीमती. आर. के गुल्ता	90
25	हिंदी कहानी साहित्य में वक्त्रित समाज का चित्रण	प्रा.पी. आर. रगडे	94
26	बंजारा समाज की मूल भाषागत शब्दावली : एक अध्ययन	डॉ. सुभाष राठोड	99
27	धुमरू समाज की बोली भाषा	डॉ. संग्राम शिंदे	103
28	वक्त्रित अद्यय का युवा आवाज : जयभारत - जयभीम	डॉ. सय्यद शौकतअली	107
29	धुमरू समाज की कलाओं के प्रकार और स्वरूप	श्री.अंकुश शेलार	110
30	धुमरू समाज का व्यक्तिसाधनात्मक चर्चाचरण	डॉ. बाजीराव शेलार	114
31	धुमरू समाज का स्वरूप और उनके व्यवसाय	डॉ. महिपती शिवदास	118

True Copy

Vice President

Kisanva

Vya

Website - www.researchjourney.netEmail - researchjourney2014@gmail.com



पुंमंतू "धिसाडी" समाज का स्वरूप एवं वास्तव

डॉ. भानुदारा आगेडकर

अध्यक्ष, हिन्दी विभाग

किराने वीर महाविद्यालय, वाई

मोबा. 9921061161

पृष्ठभूमि

मध्ययुग में समाज व्यवस्था का प्रमुख आधार मनुस्मृति आधारित वर्णव्यवस्था थी। इस समय चार वर्णों में विभाजित समाज हर एक गाँव की पहचान थी। अर्थात् मध्यकालीन भारत के ग्रामीण व्यवस्था का यही चित्र था। इन चार वर्णों में से उपर के तीन वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य सामाजिक स्तर की दृष्टि से आपस में एक दुसरे से हिन थे किंतु वर्ण से सर्वर्ण थे। भारतीय गाँवों में सबसे इन तीनों वर्णों के लोगों की सेवा करने की जिम्मेदारी शुद्रों की थी। यह शुद्र वर्ण मनुस्मृति के अनुसार समाज का चतुर्थ वर्ण है। जिसे असृश्य कहकर गाँव की दहलिज के बाहर रखकर उनसे पीढ़ी दर पीढ़ी गाँव के अंदर रहनेवाले उपर के तीनों वर्णों के लोग उनसे सेवा करवा के लेते आये हैं। इनमें से ब्राह्मण शिक्षा ग्रहण करके उर्वर तीनों वर्णों के लिए धार्मिक पूजा-पाठ करता आया है। क्षत्रिय गाँव की शत्रुओं से रक्षा करता है और वैश्य खेती, व्यापार करके उर्वर तीनों को सेवा देता है। तो चौथे शुद्र वर्ण के लोग गाँव के बाहर रहकर उपर के तीनों वर्णों के लोगों की आवश्यकता नुसार हर तरह की सेवा करते हैं। मध्ययुग से आज तक हमारा देश जिस गाँवों में बसा है उस हर एक गाँव का सामाजिक और भौगोलिक चित्र यही है। यह गाँव स्वयंपूर्ण होता था अर्थात् उस गाँव में रहनेवाले हर एक वर्ण के परिवार की, हर एक वर्ण के व्यक्ति की जीविका का साधन एक दूसरे पर अवलंबित होते हुए भी उसी गाँव में उपलब्ध होता था। यही कारण है कि आज भी गाँव को स्वयंपूर्ण ग्राम कल्पनासे नवाजा जाता है। वास्तव में हमारे देश में फैले हुए यह गाँव एक ओर आदर्श स्वयंपूर्ण ग्राम हैं मगर वही 'दुसरी ओर' यह वर्णाधारित, कर्माधारित जाति और उपजातियों में विभाजित अमानविय समाज व्यवस्था का दस्तावेज हैं। हम इसे दस्तावेज इसलिए कहते हैं क्योंकि यही गाँव हमें हमारे यहाँ मानवी समूह में निर्माण हुई जाति और उपजातियों की सही पहचान कराते हैं। कहा जाता है कि गाँव में बसे हुए उपर के तीनों वर्णों के लोगों की भौतिक जरूरतें पूरी करने के लिए चौथे शुद्र वर्ण के लोगों में कर्माधारित अलग-अलग मानवी समूह निर्माण हुए। इन मानवी समूहों द्वारा किए जानेवाले काम के अनुसार उनकी सामाजिक पहचान होने लगी, जैसे लोहे का खेती उपयोगी औजार बनानेवाला लुहार, खेती उपयोगी लकड़ी का औजार बनानेवाला सुतार, जुते बनानेवाला चमार, इसी तरह खेती सहित गाँव के लोगों की छोटी-बड़ी जरूरतें पूरी करने का काम करनेवाले मानवी समूह पिढी दर पीढ़ी वही सेवाकार्य करते रहे। हमारे यहाँ जाति और उपजातियों निर्माण होने के संकेत यही मिलते हैं। महाराष्ट्र में बसे हुए गाँवों में इस तरह की शुद्र वर्णों में कुल मिलाकर बारह जातियाँ मिलती हैं। जिन्हे हमारे यहाँ "बारा बलुतेदार"¹ कहते हैं। उपर के उच्च तीन वर्ण (ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य) और शुद्रों के यह बारा बलुतेदार (महार, मातंग, चमार, नाभीक, कोली, कोष्टी, माली, सुतार, लुहार, कुम्हार, परीट और तेली) गाँव का सारा कारोबार करते हैं। जिसे मराठी में "गावगाडा"² कहते हैं। खेती करनेवाला किसान जिसे कुनबी कहा जाता है उसी खेती करने के लिए जरूरत के अनुसार यह सारे बलुतेदार परंपरा से औजार सहित छोटे-मोटे खेती सहित अन्य उपयोगी उपकरण बनाकर देते थे। उनकी इस सेवा के बदले में उपर के तीनों वर्णों के लोग उनकी जीविका के लिए

True Copy

Vice Principal

Wai, Dist. Solapur - 431 80



उन्हे सालभर मे से फसल काटने के वक्त केवल एक बार अनाज देते है। जिसे महाराष्ट्र में 'बलुता' कहते है। जब गाँव उन शुद्धों की प्रमुख बारह जातियाँ अर्थात् बारा बलुतेदार और कालांतर में उनमें उत्पन्न हुई अलग-अलग उपजातियों की जीविका की पूर्ता करने में असफल हुए तब उनमें से कुछ उपजातियों के शुद्ध लोगों ने एक गाँव से दूसरे गाँवमें जाकर अपना डेरा (मराठी में पाल - फटे पुराने कपडों से बनाई झोपडी) डाला। फिर अपने उपजीविका की जरूरत पूरी करने के लिए ये लोग निरंतरता से एक गाँव से दूसरे गाँव,दूसरे गाँव से तीसरे गाँव भटकते रहने लगे। अपने परिवार के साथ सदियों से भटकनेवाले जातिसे शुद्ध रहे इन लोगों को महाराष्ट्र में 'भटके-विमुक्त'⁴ और हिंदी में 'घुमंतू'⁵ लोग या घुमंतू जातियाँ कहा जाता है। महाराष्ट्र सरकार द्वारा शुद्धों के उपजातियों में से कुल 42 जन- जातियों को भटकनेवाली जातियों के रूप में स्वीकारा है। किंतु मराठी भाषा में उनका अध्ययन करनेवाले श्री.रामनाथ चव्दान जी ने इनकी संख्या कुल 192 होने का दावा किया है। इन घुमंतू लोगों का गाँव के कारोबार (गावगाडा) के साथ या गाँव के आंतरिक व्यवस्था के साथ किसी भी तरह का सम्बन्ध नहीं आता था। कहते है कि यह घुमंतू लोग गाँव के बाहर रहकर अपनी उपजीविका के लिए छोटे-मोटे काम के साथ-साथ लुट-पाट, चोरीया,लोगों को ठगाना, बाजार में दुकानदारों की नजर से बचकर माल उठाना, डकैती जैसे गुनाह के काम करते थे। परिणामतः इनमें से अधिकतर घुमंतू जातियों को आंग्रेजों के शासनकाल में (सन 1871में)चोर,गुनहगार करार करते हुए उनकी वसाहतों को तार कम्पाउंड(कुंपन) के अंदर बंदिस्त बनाके रखा गया था। इन बंदिस्त लोगों पर तरह-तरह की कठोर पाबंदिया लगाई गयी थी। जैसे सुबह दोपहर श्याम तीनों वक्त पुलिस के सामने हाजिरी देना, एक गाँव से दूसरे गाँव जाते समय उन गाँवों के मुखियों से अनुमति लेना आदि। आगे चलकर आजादी के बाद (सन 1952) भारत इन घुमंतू जातियों के लिए अंग्रेजों ने बनाया हुआ गुनहगार कानून भारत सरकार द्वारा तार कम्पाउंड तोड़कर रद्द करके उन लोगों को मुक्त किया गया। यही मुक्त हुए लोग और उनकी जातियाँ आज भटके-विमुक्त नाम से संविधानिक स्तर पर पहचानी जाती है। भले ही यह जन-जातियाँ आज विमुक्त है मगर परंपरा से उनपर जो गुनहगार जाति की मुहर लगी है वह आज भी कलंकित दाग की तरह कायम है। क्योंकि आज भी महाराष्ट्र के किसी भी कोने में चोरी या डकैती या लुट-पाट हो जाती है तब पुलिस द्वारा सबसे पहले इन्ही लोगों को या इनकी झोपडीयों को बेरहमी से खंगाला जाता है। इस तरह का अमानवीय जीवन जीने वाले बयालिस घुमंतू जातियों में से एक घुमंतू जाति है -घिसाडी। यह घिसाडी लोग अन्य घुमंतू जन-जातियों को समान एक गाँव से दूसरे और दूसरे से तीसरे गाँव जाकर अपने निर्वाह की व्यवस्था करते हुए वर्तमान समाज व्यवस्था में भी अपनी परंपरागत पहचान कायम रखते हुए दिखाई दे रहे है।

घुमंतू : घिसाडी जन-जाति का स्वरूप

महाराष्ट्र के अधिकतर गाँवों में रास्ते के किनारे या कभी-कभी गाँव के बिच चौराहे के समीप लुहारों के भाते के समान छोटारसा भाता जलाकर लोहे के खेती उपयोगी छोटे-मोटे औजार जैसे - कुदाल,फावडा,कुल्हाडी, घास काटने के लिए आवश्यक छोटे औजार (मराठी में खुरप,विळी),लोहे के छोटे-मोटे हल, लकडी हल के नोकपर लोहे के टोक(फाल), बैलगाडी के पहियों को लगाए जानेवाले लोहे के बाहरी आवरण (धाव) बनाकर किसानों को बेचने के साथ-साथ चाकू-छूरियों और कुल्हाडी को धारदार बनानेका काम करनेवाली घुमंतू जाति के लोगों की झोपडी कुछ दिनों के लिए बसाई हुई अक्सर दिखाई देती है। घुमंतू घिसाडी जाति की यही पहली पहचान है। यह लोग अपनी जन्मभूमि चित्तौड गड बताकर अपने आप को

True Copy

Vice Principal

Kisanveer Mahavidyalaya
Wai, Dist. Satara - 412 803



राजस्थानी अर्थात् रजपूत समजते हैं। लोहे का काम करने के कारण महाराष्ट्र में इन्हें लुहार जाति का सम्बोधन लगाया जाता है। हमारे यहाँ दिखाई देनेवाले घिसाडी लोग भी अपनी पहचान चित्तौडी लुहार रजपूत लुहार या माडी लुहार नाम से बताते हैं। गाँव के बास बलुतेदार में आनेवाला लुहार या लोहार मोतवाड़े का हिस्सा होता है। वह गाँव में बसता है तो घिसाडी भटकता रहता है। दोनों लोहे का काम करते हैं मगर दोनों के बीच रोटी-बेटी या तत्सम व्यवहार नहीं होते। घिसाडी अपने-आप को महाराणा प्रताप के वंशज बताकर हमारे यहाँ के लुहारों से उच्च कूलीन समझते हैं।

श्री.सूर्यनारायण या श्री.एकलिंग जी उनके कुलदैवत और मेवाडी उनकी भापा होती है। इसके अतिरिक्त सांकेतिक या घोरभाषा का भी ये लोग आपसी संवाद के लिए उपयोग करते हैं। महाराष्ट्र में भटकनेवाली घुमंतू जन-जाति-जमातियों का सूक्ष्म अध्ययन करनेवाले मराठी के प्रसिद्ध संशोधक श्री रामनाथ चव्हाण जी के अनुसार "महाराणा प्रताप यांच्याशी संबंध जोडणा-या घिसाडी जमातीचे लोक त्यांच्या काळात लढाई साठी उपयुक्त असणारी हत्यारे तयार करून सैन्याला पुरवत असत. लोखंडी व पोलादी शीरस्त्राण,भालेव बाणांची टोके, तलवारी,जांबिये,दिचवे, ही हत्यारेतयार करण्याचेच या लोकांचे मुख्य काम असल्याचे ते सांगतात. व ते स्वतःला महाराणा प्रतापाचे एकनिष्ठ अनुयायी म्हणवतात." श्री. रामनाथ चव्हाण जी के अनुसार मूल मेवाड प्रांत अर्थात् राजस्थान का यह समाज भटकते-भटकते महाराष्ट्र में आया है। और इतने सालों बाद आज भी यह समाज लोहे के वस्तु बनाकर बेचते हुए एक गाँव से दूसरे और दूसरे गाँव से तीसरे गाँव भटकता रहता है।

घुमंतू घिसाडी जाति की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

मध्ययुगीन इतिहास के अनुसार सन 1568 मुगल बादशाह अकबर ने महाराणा प्रतापसिंह पर हमला करके उसे हराकर चित्तौडगड को अपने अधिपत्य में लाया था। इस ऐतिहासिक घटनासे चित्तौडगड में रहनेवाले और महाराणा प्रतापसिंह पर गर्व करनेवाले तथा युद्ध में उपयोगी होनेवाले लोहे के शस्त्र बनाकर देनेवाले राजपूत लुहारों को अपनी राजा की हार का अतिव दुःख हुआ। उन्होंने चित्तौडगड का त्याग किया और जंगल में भटकने लगे। जंगल में भटकते इन लोगों ने यह कसम खाई कि जग तक अपने राजा की जीत नहीं होती तथा चित्तौडगड आजाद नहीं होता तब त कवे चित्तौडगड में कदम नहीं रखेंगे। इसके अतिरिक्त उन्होंने "एक जगह पर बसाहत न करने", पलंग पर न सोने की, आछे-पक्के घरमें न रहने जैसी अनेक कसमें खाई थी। आगे स्वयं राणा प्रतापसिंह ने अनेक बार अकबर से युद्ध करके चित्तौडगड को आजाद करने का प्रयास किया मगर अंत में उन्हें ही चित्तौडगड छोड़ना पडा था। इस बात से दुःखी हुए रजपूत लुहारों ने अपनी जन्मभूमि रहे चित्तौडगड का ही हमेशा के लिए त्याग किया और भटकते-भटकते महाराष्ट्र तक आ पहुचे। यहा आने के बाद उन्हें जब भी कोई उनकी पहचान पुछते थे तब अपनी असली पहचान छुपाने के लिए वे लोग "लोहे का काम करनेवाले 'घोसंडी' गाँव के हम रहने वाले हैं" ऐसा बताते थे। यही उनका द्वारा बताया गया घोसंडी गाँव का नाम धिरे-धिरे घिसाडी बनकर उनकी और उनके जाती की पहचान बनी होगी ऐसी एक कथा कही जाती है। मगर उसका प्रमाण नहीं मिलता।

घुमंतू घिसाडी जाति की आंतरिक व्यवस्था

घुमंतू-भटके-विमुक्त हर एक जाति की औरों से भिन्न अपनी एक स्वतंत्र आंतरिक व्यवस्था रही दिखाई देती है। अर्थात् हर एक घुमंतू जाती के कुल-वंश, देवी-देवताएँ, पूजा-पाठ, विवाह पध्दतियाँ, श्रद्धा-अंधश्रद्धाएँ, सामाजिक - धार्मिक

True Copy

Vice Principal

Kisanveer Mahavidyalaya
Wai, Dist. Satara - 412 81



सांस्कृतिक मान्यताएँ, रुढ़ि-परंपराएँ, भाषा-व्यवहार, जातपंचायत आदि एक दूसरे से अलग हैं। इस दृष्टि से देखे तो घिसाडी जाती के लोगों ने भी अपनी एक स्वतंत्र व्यवस्था निर्माण की हुई दिखाई देती है। जिसका पालन आज तक इस समाज का हर एक व्यक्ति कर रहा है। जैसे-इनके विवाह लगातार सात दिन तक चलता है और इन सात दिनों में दुल्हन के पिता ने सभी महमानों को हर रोज एक नया पक्वान बनाकर खिलाना, पुरुष को दो शादीयाँ (बिवियाँ) करने की अनुमति, जाति के बाहर शादी न करना अगर किसी ने इस तरह की शादी की तो उसके साथ किसी भी तरीका का व्यवहार न करना (मराठी में वाळीत टाकने), जातपंचायत के पंचोने दिए हुए फैसेने को विना शिकायत किए स्वीकारना, पंचो के निर्णय नुसार तलाक (काडीमोड) होने पर पुनर्विवाह करने की अनुमति, मरने के बाद उस व्यक्ति के मृत शरीर को दफनाने के बजाय उसका दहन करना, परिवार में मरे हुए व्यक्ति के आत्मा को शांति और सुकून मिलने के लिए प्रयत्न करना, पति के मरने पर पत्नी ने सतिप्रथा का पालन करना, लडके के जन्म पर आनंद तथा लडकी के जन्म पर शोक व्यक्त करना, आपसी संवाद के लिए राजस्थानी भाषा तथा आरसी- पारसी भाषा का सांकेतिक भाषा के रूप में प्रयोग करना, जातपंचायत के मुखिया सहित सभी

पंचो का मान-सन्मान रखना और राजस्थान में स्थित पुष्कर नामक गाँव में हर साल कार्तिक पुर्णिमा पर घिसाडी जाति के देवता के लगनेवाले मेले में सम्मिलित होना आदि। साधारणतः महाराष्ट्र में दिखाई देनेवाले घुमंतू घिसाडी विमुक्त जाति की आंतरिक व्यवस्था यही है। उसमें जातपंचायत को सबसे अधिक महत्व दिया गया है। पारिवारिक कलह से लेकर समाज में उत्पन्न हुए बड़ी से बड़ी समस्याओं पर इनके पंच निर-क्षिरता से निर्णय देते हैं। पंचों के समक्ष कोई गरीब नहीं होता न कोई अमीर। किसी जमाने में इस समाज के बुजुर्गों ने समाज की एकसंघता कायम रखने के लिए, रक्त और वंश शुद्धि के लिए अपने जाति बांधवों को आपसी व्यवहार, सामाजिक वर्तन तथा पारिवारिक जिम्मेदारियों के लिए आचरण की एक नैतिक चौखट बनाई थी। जिसने भी इस चौखट को तोड़कर गुनाह किया, चाहे वह अमीर हो या गरीब इनकी जातपंचायत में सबके लिए समान न्याय दिया जाता है। अन्य घुमंतू जन-जमातियों से अलग इन्होंने भी अपनी स्वतंत्र पहचान कायम रखी है। उनकी जातिगत आंतरिक व्यवस्था में आनेवाले हर एक पध्दती और उनके रीति-रिवाज धर्म से हिंदु होते हुए भी अन्यो से कुछ हद तक पूरी तरह अलग से हैं। जिन की मराठी भाषा में श्री. रामनाथ चव्हाण जी ने अपने किताब में अत्यंत विस्तृत जानकारी देते हुए उनकी सही-सही पहचान कराई है। विस्तार भय के कारण हमने यहाँ केवल उनके रांकेत देने का प्रयास किया है।

घुमंतू घिसाडी जाती की आज की स्थिति

सन 1952 में पं. जवाहरलाल नेहरू और यशवंतराव चव्हाण जी ने आंग्रेज सरकार द्वारा बंदिस्त किए गए जिन घुमंतू जन-जातियों को मुक्त किया था, उनमें से एक थी यह घिसाडी जाती। जो विमुक्त होने के बाद भी गाँव-गाँव भटकते हुए लोहे के छोटे-मोटे खेती उपयोगी औजार बनाकर किसानों को बेचकर अपने जीविका की व्यवस्था करते थे। किंतु पिछले कुछ वर्षों से इस समाज के अधिकतर लोग अपने परिवारों के साथ शहरों और महानगरों में स्थाई रूप से बसे हुए नजर आने लगे हैं। लोहे के व्यवसाय के अतिरिक्त ये लोग अब अपनी उपजीविका के लिए नौकरियाँ करने लगे हैं। एक ओर इनके बाल- बच्चे आज अन्य जाति के बच्चों के समान आंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में पढने लगे हैं। तो दूसरी ओर इस समाज के पढ़े-लिखे युवक अपने समाज के सामाजिक प्रगति और विकास के लिए तरह-तरह के संविधानिक प्रयत्न करते हुए दिखाई देते हैं। विमुक्त जन-जातियों के विकास के लिए आज केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा जिन विकासात्मक योजनाओं को लागू किया

True Copy

Vice Principal

Kisanveer Mahavidyalaya
Wai, Dist. Satara - 412 61



गया है। उनका लाभ उठाते हुए भी इस घिसाड़ी जाति के लोग दिखाई देते हैं। विकार की पकिस्या में मार्गक्रमण करनेवाले अन्य पिछड़े जन-जातियों के समान घिसाड़ी समाज भी आज सामाजिक स्तर पर दो वर्गों में विभजित हुआ है। इनमें से एक वर्ग है पुराणी पीढ़ी का जो अपनी पारम्परिक रीति-रिवाजों का पालन करते हुए उनका आग्रह करते हैं तो, दुसरा वर्ग है पढ़े-लिखे घिसाड़ी युवकों का, जो, पुराणी और समाज विघातक मान्यताओं को नकारकर भारतीय समाज में अपनी नई पहचान बनाने के लिए प्रयत्न करता है। उनके प्रयत्न के अनुसार इस समाज प्रचलित अनेक रिगोनी प्रथाएँ बंद की गई हैं। फिर भी इन दो वर्गों के बीच में हमेशा तीज-त्योहार, शादी-ब्याह, जन्म-मृत्यु तथा जातपंचायत बिटाने जैसी कार्यक्रमों के अवसर पर वैचारिक संघर्ष होता रहता है। इनमें से एक को शाकाहारी (सुधारणावादी) और दूसरे को मांसाहारी (परम्परावादी) कहा जाता है। इनमें से परम्परावादी लोग, जातपंचायत सहित अपने पुराणे सभी रीति-रिवाजों का पालन अत्यंत प्रामाणिकता से करते हुए दिखाई देते हैं। यही कारण है कि इतने सालों के बाद भी इनकी जातपंचायत का अस्तित्व जीवित रहा सुनाई देता है।

निष्कर्ष

महाराष्ट्र के बारा बलुतेदारों में आनेवाले लुहार या लोहारों के समान खेती उपयोगी लोहे के अवजार बनाकर किसानों को बेचनेवाला घिसाड़ी मूलतः एक घुमंतू जमात है। ये लोग अपने-आप को चित्तौडगड के महाराणा प्रताप के वंशज, अग्निवंशी मानते हैं। ये लोग गावगाडे का हिस्सा न होकर गाँव-गाँव भटकते रहते हैं। इनकी मातृभाषा मेवाडी (राजरथानी) है। इसके अतिरिक्त ये लोग सांकेतिक भाषा काभी आपसी संवाद के लिए प्रयोग करते हैं। इनकी जातपंचायत सब के लिए समान न्याय देने का काम अत्यंत प्रामाणिकता से करती है। इनकी पंचायत अक्सर शादी जोड़ना, तलाक देना, आपसी झगड का निवारण करना, आपसी लेन-देन की शिकायत, अंतरजातीय विवाह आदी के कारण बिटाई जाती है। पंचायत का सारा खर्च जैसे शराब पिलाना, खान-पान देना आदी, शिकायत करनेवाला और जिसपर शिकायत है, दोनों को करना पडता है। पंचो द्वारा जो निर्णय दिया जाता है, उसका पालन सभी को अत्यंत कठोरता से करना पडता है। इसके अतिरिक्त बुजूरों ने बनाए गए सभी रीति रिवाजों का पालन पूरे समाजने करना आवश्यक होता है अगर किसीने उनका पालन नहीं किया तो पंचायत द्वारा उस व्यक्ति और उसके पूरे परिवार को समाज से बाहर रखा जाता है। आज उस समाज की स्थिति में काफी बदलाव आया है। उस समाज की पढ़ी-लिखी युवा पीढ़ी अपने बुजूरों के साथ संघर्ष करते हुए अपने घुमंतू पहचान को मिटाने की कोशीश करते हुए दिखाई देते हैं। यह समाज अभी साहित्य के दायरे में नहीं आया है। मराठी भाषा साहित्य में श्री. रामनाथ चव्हाण, लक्ष्मण माने, श्री. त्री. ना. आत्रे, श्री. य. दि. फडके आदि संशोधक साहित्यिकों ने महाराष्ट्र में भटकनेवाले जन-जातियों में से कुछ जातियों की साहित्य के माध्यम से पहचान कराने का प्रयत्न किया है। दलित, स्त्री और आदिवासी समाज का साहित्य में जिस तरह विमर्श हुआ है वैसे इन भटकनेवाले विमुक्त-जन-जातियों पर हिंदी साहित्य में अधिक लिखा हुआ नहीं मिलता। मैत्रेयी पुष्पा द्वारा प्रस्तुत उपन्यास "आत्मा कबुतरी" जैसी रचनाएँ घुमंतू समाज के वास्तव जीवन का हिंदी पाठको को यथावस्तु परिचय कराते हैं। बंजारा घुमंतू जाति पर आज संशोधको द्वारा विशेष शोधकार्य हो रहा है। जिससे एसा लगता है कि इन घुमंतू जातियों की आनेवाली पढ़ी-लिखी पीढ़ीयों अपना सदियों का दर्द, वंचितता, दुःख, वेदनाएँ, भटकते जीवन की परेशानियों को बिना हिचकते कविता, कहानी, उपन्यास, आत्मकथा, संस्मरण जैसी

True Copy

Vice Principal

Kisanveer Mahavidyalaya

Waj. Dist. Satara - 412 803



'RESEARCH JOURNEY' International E- Research Journal
 Impact Factor - (SJIF) - 6.261, (CJIF) - 3.452(2015), (GIF)-0.676 (2013)
 Special Issue 171(D) पुर्णतः समाज की श्रमसंस्कृति : कला और साहित्य
 UGC Approved Journal


ISSN :
 2348-7143
 April-2019

अलग-अलग विधाओं के माध्यम से बिना हिचकिचाते प्रस्तुत करेगी। हमें थोडारा इंतजार करना पड़ेगा।

संदर्भ-ग्रंथ-सूची

1. श्री. लक्ष्मण माने "उपरा" पृ 12
2. श्री. त्रीख ना अत्रे "गावगाडा" पृ 36
3. श्री. दया पवार "बलुत" पृष्ठभूमी
4. श्री. लक्ष्मण माने " उपरा " पृ. 41
5. डॉ. भरत सगरे "इक्कसवी सदी का हिंदी साहित्य" पृ. 08
6. श्री. रामनाथ चव्हाण भटक्या-विमुक्तांची जातपंचायत खंड 2 पृ. नं. 214

True Copy


 Vice Principal
 Kisanveer Mahavidyalaya
 Wai, Dist. Satara - 412 802